72

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 3809–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–11–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील दतिया प्रकरण कमांक 01/अ–68/2014–15.

विश्वनाथ शर्मा पुत्र स्व. श्री रामनारायण शर्मा
प्रबंधक, रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल,
नजरबाग जिला दतिया
निवासी 962 सिविल लाइन्स झांसी, उ.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ——— अनावेदक

श्री एस. के. वाजपेई, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता अनावेदक ।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5 मई, 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, दतिया द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–68/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 10–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नगर दतिया में शिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नंबर 2626, 2627 एवं 2628 में से भूमि दिए जाने हेतु दतिया के तत्कालीन स्थानीय प्रशासन को आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर से नजूल अधिकारी ने जांच कर अपना प्रतिवेदन कलेक्टर, दतिया को भेजा

गया । कलेक्टर, दतिया ने भूमि दिए जाने की अनुशंसा की तथा आयुक्त ग्वालियर संभाग एवं म0प्र0 शासन से आवेदक को भूमि देने के उचित आदेश हेतु अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया । आयुक्त, ग्वालियर संभाग ने कलेक्टर के प्रस्ताव का अनुमोदन कर प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग म0प्र0 शासन को दिनांक 10–12–2009 को पत्र भेजा । आवेदक का आवेदन राज्य शासन के समक्ष अंतिम आदेश हेतु लंबित है । उक्त कार्यवाही के विचाराधीन रहते पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 22–10–14 को आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 29–10–2000 नियत कर आवेदक को सूचनापत्र प्रेषित किया । आवेदक द्वारा 29–10–2014 को अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर सूचनापत्र का जबाव एवं आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय चाहा गया परंतु तहसीलदार द्वारा चार दिन का समय देते हुए दिनांक 3–11–2014 की तिथि निगत की दिनांक 3–11–2014 को आवेदक की ओर से उचित अवसर देने हेतु समय की मांग की गई जिसे अस्वीकार करते हुए तहसीलदार ने प्रकरण पटवारी प्रतिवेदन हेतु दिनांक 10–11–2014 नियत की । इसी कार्यवाही के विरूद्ध आवेदक ने इस न्यायालय में निगरानी पेश की जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 10–11–14 को आदेश पारित करते हुए यह निर्देश दिये कि आवेदक तहसीलदार के समक्ष सात दिन में अपना उत्तर प्रस्तुत करें एवं तहसीलदार को निर्देश दिए कि आवेदक के आवेदन दिनांक 22–10–14 के संदर्भ में आवेदक का उत्तर लेकर कार्यवाही करें । परंतु तहसीलदार ने दिनांक 10–11–14 को पटवारी रिर्पोट के आधार पर आवेदक को बिना सुने प्रकरण में आलोच्य आदेश पारित करते हुए आवेदक पर अर्थदण्ड आरोपित करते हुए उसे प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल किए जाने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि तहसीलदार, दतिया द्वारा की गई कार्यवाही एवं न्यायालयीन प्रकरण में अपनाई गई प्रकिया पूर्णतः अवैध, अनियमित एवं मनमानी है । आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि को प्राप्त करने हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया है ।

यह तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन के संबंध में प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है और शासन द्वारा चाही गई जानकारी कलेक्टर द्वारा आज दिनांक तक नहीं भेजी गई है पूर्व में 3 पेशियों से शासकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त जानकारी भेजने हेतु

समय चाहा जा रहा है परंतु अभी तक कलेक्टर द्वारा शासन को जानकारी नहीं भेजी गई है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है ।

यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर द्वारा पूर्व में पत्र दिनांक 3–6–02 द्वारा अपनी अनुशंसा शासन को भेजी गई थी जिसमें भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण न मानते हुए आधिपत्य माना है । नजूल अधिकारी द्वारा आवेदक प्रीमियम की राशि का 10 प्रतिशत 30–12–02 को जमा करने की अपेक्षा की गई थी जिसके अनुसार आवेदक द्वारा तत्समय ही उक्त राशि जमा की गई है । आयुक्त, ग्वालियर संभाग द्वारा भी शासन को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 10–12–09 में स्पष्ट लिखा है कि कलेक्टर के साथ स्थलीय निरीक्षण किया जिसमें पाया गया कि संस्था का शैक्षणिक कार्य जनहित में है और भूमि का आवंटन उपयुक्त बताते हुए शासन से भूमि आवंटित करने अनुशंसा की गई है । इसी आधार पर पूर्व में आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 248 के अंतर्गत प्रारंभ की गई कार्यवाही को समाप्त किया गया था कि आवेदक को भूमि आवंटित किए जाने की कार्यवाही शासन के समक्ष लंबित है अब पुनः उसी वाद कारण के आधार पर पुनः कार्यवाही की जाना न्यायसंगत नहीं है ।

यह तर्क दिया गया कि तहसीलदार द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही संहिता के प्रावधानों के विपरीत है । कार्यवाही करने के पूर्व आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है ।

यह तर्क भी दिया गया कि तहसीलदार ने स्वयं 10–11–2014 की तिथि पटवारी के कथन हेतु नियत की थी, परंतु नियत दिनांक को पटवारी का कथन नहीं लिया गया, जैसाकि उनकी आदेश पत्रिका से स्पष्ट है । बिना किसी साक्ष्य के मात्र पटवारी रिर्पोट के आधार पर उसी दिन अंतिम आदेश पारित करना पूर्णतः अवैध कृत्य है । तहसीलदार की कार्यवाही न्यायालय की गरिमा के अनुरूप नहीं है ।

यह तर्क भी दिया गया कि तहसीलदार का आदेश इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 3714–एक/2014 में पारित आदेश दिनांक 10–11–2014 का भी उल्लंघन है, इस न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी में आदेश पारित करते हुए आवेदक को तहसीलदार के समक्ष सात दिन में अपना उत्तर प्रस्तुत करने एवं तहसीलदार को आवेदक के आवेदन दिनांक 22–10–14 के संदर्भ में कार्यवाही के निर्देश दिए थे । परंतु

इस न्यायालय के आदेश को भी अनदेखा करते हुए मनमाने तरीके से आदेश पारित कर दिया गया है जो अवैधानिक है । उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं आलोच्य आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर अतिक्रमण होना सिद्ध है । भूमि के आवंटन हेतु आवेदन देने से आवेदक को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो जाते हैं । अतः तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया है वह उचित है, जिसे स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5/ आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में प्रारंभ की गई संहिता की धारा 248 की वर्तमान कार्यवाही के पूर्व से ही आवंटन के संबंध में प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है और पूर्व में इसी आधार पर आवेदक के विरूद्ध प्रारंभ की गई संहिता की धारा 248 की कार्यवाही को स्थगित रखा गया था । प्रकरण के तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक ने आवंटन की प्रत्याशा में अपनी ओर से समस्त औपचारिकतायें पूरी करदी हैं एवं प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक संस्था के निर्माण हैं जिनमें सार्वजनिक विद्यालय एवं अन्य कियाकलाप जनहित में संचालित हो रहे हैं । अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पूर्व में आयुक्त, ग्वालियर संभाग द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत उक्त भूमि को आवेदक को आवंटित करने की अनुशंसा शासन से की है । यह भी स्पष्ट है कि शासन ने भूमि आवंटन के लिए उसके प्रीमियम आदि के संबंध में जो जानकारी कलेक्टर से चाही जा रही है वह जानकारी अभी तक शासन को उपलब्ध नहीं कराई गई है । इस संबंध में आवेदक ने शासन द्वारा समय–समय पर कलेक्टर, जिला दतिया को प्रेषित पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि शासन को अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है । ऐसी स्थिति में जब कार्यवाही शासन के समक्ष लंबित है तब तहसीलदार द्वारा आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही कर बेदखल किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा कार्यवाही काफी जल्दबाजी में मनमाने तरीके से की गई है, कार्यवाही करने के पूर्व संहिता की धारा 248 के प्रावधानों का पालन

भी नहीं किया गया है । आदेश पत्रिका दिनांक 3–11–14 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त दिनांक को आवेदक का कार्यवाही को स्थगित करने संबंधी आवेदन निरस्त करते हुए प्रकरण पटवारी कथन हेतु दिनांक 10–11–14 के लिए नियत किया गया है किंतु आदेश पत्रिका दिनांक 10–11–14 को देखने से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को पटवारी के कथन नहीं लिए गए एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट के आधार पर आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना प्रकरण उसी दिनांक को आदेश हेतु नियत किया जाकर आदेश पारित किया गया है जो यह दर्शाता है कि उक्त कार्यवाही मनमाने तरीके से की गई है । तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही से, आवेदक के इस तर्क को बल मिलता है कि तहसीलदार द्वारा उक्त कार्यवाही संभवतः द्वेषवश की गई है । अतः प्रकरण के समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आलोच्य आदेश विधिसम्मत एवं न्यायसंगत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 11–10–14 निरस्त किया जाता है । यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि शासन के समक्ष आवेदक को भूमि आवंटन किए जाने की कार्यवाही का निराकरण होने पर तहसीलदार उचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर